"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 23, 1934)

क्रमांक-14533/वि.स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

धारा 5 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तृतीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि माल वाहन, प्रक्रम वाहन अथवा संविदा वाहन, यथास्थिति, के संबंध में जहां वाहन मालिक, तीन माह से अधिक के लिए एकमुश्त कर जमा करता है तो उसे उद्ग्रहणीय कर पर ऐसी अवधि के लिए एवं उस दर पर छूट की पात्रता होगी जैसा कि प्रथम अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट है."

धारा 16-क का अन्त:स्थापन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"16-क. **कराधान प्राधिकारी के समक्ष परिवहन यान को प्रस्तुत करने की शक्ति.**—कराधान प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किए जाने पर परिवहन यान का स्वामी सीटों, सीट व्यवस्था, शयन, चालू हालत की वातानुकूलित इकाई का प्रतिष्ठापन, फर्श क्षेत्र एवं भार के भौतिक सत्यापन हेतु या लोक सेवा यान की श्रेणी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, पर्यटक यान, शयनयान, अर्द्ध-शयनयान एवं माल यान सुनिश्चित करने अथवा कोई भी आधारभूत जानकारी जो कर के निर्धारण एवं गणना के लिए आवश्यक हो, के लिए वाहन को प्रस्तुत करेगा."

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

4\. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ-1) शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के रूप में संचालन के लिए अनुज्ञात वाहन हेतु, ऐसे वाहन पर कर की दर निम्नानुसार होगी—

(एक)	डीलक्स शयनयान/डीलक्स अर्द्ध-शयनयान.	कर ऐसी दरों पर प्रभारित होगा जो कि ऊपर खण्ड (घ), (ड.), (च) एवं (छ), यथास्थिति, के संबंधित संवर्ग में डीलक्स सेवा/एक्सप्रेस सेवा के लिए निर्धारित है.
(दो)	ऊपर (एक) में उल्लिखित यान से भिन्न शयनयान/अर्द्ध-शयनयान.	कर ऐसी दरों पर प्रभारित होगा जो कि ऊपर खण्ड (घ), (ड.), (च) एवं (छ), यथास्थिति, के संबंधित संवर्ग में साधारण सेवा के लिए निर्धारित है.

(ज) मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब से भिन्न लोक सेवा यान में किराये अथवा पारितोषण पर यात्रियों को ले जाने के लिए सीट एवं/अथवा शयन का अनधिकृत प्रतिष्ठापन—

(क)	लोक सेवा यान जिसमें अनधिकृत सीट हो.	रु. 3,000 (रुपये तीन हजार) प्रति अनधिकृत सीट प्रति माह.
(ख)	लोक सेवा यान जिसमें अनधिकृत शयन हो.	रु. 6,000 (रुपये छः हजार) प्रति अनधिकृत शयन प्रति माह.

परन्तु जहां अनधिकृत सीट अथवा/और अनधिकृत शयन के साथ कोई लोक सेवा यान पाया जाता है, तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर, कर की गणना उस अवधि से की जाएगी जो चालू उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के जारी होने के दिनांक से संगणित हो:

परन्तु यह और कि खण्ड (ज) के अंतर्गत किसी लोक सेवा यान का स्वामी, दो बार अपराध के लिए दण्डित होता है और तीसरी बार ऐसा अपराध करता है, तो संबंधित कराधान प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा वाहन को निरूद्ध किया जाएगा और किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस लाईन अथवा परिवहन चेक-पोस्ट पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा एवं कराधान प्राधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी चौबीस घंटे के भीतर ऐसा प्रकरण पंजीयन प्राधिकारी को मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 53 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र को निलम्बित करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा."

5. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के स्पष्टीकरण (9) एवं (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण (9)**— लोक सेवा यान के संबंध में सीट से अभिप्राय ऐसी एक सीट जो ऐसे पंजीकृत वाहन के वर्गीकरण के अनुज्ञात ब्यौरों के अनुसार है और ऐसे वाहन में प्रत्येक अनुज्ञात शायिका को दो सीट के बराबर इस अनुसूची के अंतर्गत कर की गणना के लिए माना जाएगा.

स्पष्टीकरण (10)— इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवा यान के कर की गणना के उद्देश्य से, सीटों, सीट व्यवस्था, शयन, चालू हालत की वातानुकूलित इकाई के प्रतिष्ठापन का भौतिक सत्यापन अथवा लोक सेवा यान की श्रेणी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, पर्यटक यान, शयनयान, अर्द्ध-शयनयान एवं मालयान या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कर की गणना करने के लिए आवश्यक हो, का निर्धारण, इस अधिनियम के अंतर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कराधान प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसे कार्यालयीन अभिलेख, पंजीयन प्रमाण-पत्र, कर प्रमाण-पत्र एवं कर टोकन में इन्द्राज किया जाएगा और इसे कराधान प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा."

6. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **नवीन अनुसूची का अन्तःस्थापन.**

प्रथम अनुसूची-क

[धारा 5 (1) के चतुर्थ परन्तुक देखिए]

स. क्र.	मोटरयान की श्रेणी	कर भुगतान की अवधि	उद्ग्रहीत कर पर छूट की दर
1.	मालयान	(क) दो तिमाहियों के लिए	2 प्रतिशत
		(ख) तीन तिमाहियों के लिए	3 प्रतिशत
		(ग) चार तिमाहियों के लिए	4 प्रतिशत
2.	प्रक्रम वाहन	तीन माह के लिए	4 प्रतिशत
3.	संविदा वाहन	तीन माह के लिए	4 प्रतिशत

द्वितीय अनुसूची का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

मोटरयानों का वर्णन (1)	जीवनकाल कर की दर (2)
"7. तिपहिया ऑटो-रिक्शा से भिन्न मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब.	यान की कीमत का 7 प्रतिशत

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान के रूप में लोक सेवा यान का एक नवीन वर्ग छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 170-क में **पुर:स्थापित** किया गया है. इसलिए, इन वाहनों के लिए कर की दर प्रस्तावित करना आवश्यक हो गया है. इसके अतिरिक्त, लोक सेवा यान में **अनधिकृत** सीटों/शयन पर दण्डात्मक कर का अधिरोपण तथा कराधान प्राधिकारी की शक्तियों का विस्तार एवं उन व्यक्तियों को, जो कर का **अग्रिम** भुगतान करते हैं प्रोत्साहन दिया जाना प्रस्तावित है. कराधान प्राधिकारी को इस संबंध में यान के सत्यापन हेतु सशक्त करने के लिए भी **संशोधन** किया जा रहा है. करारोपण के सरलीकरण के उद्देश्य से मोटर-कैब एवं मैक्सी-कैब के लिए वर्तमान त्रैमासिक कर की व्यवस्था के **स्थान** पर जीवनकाल कर का उद्ग्रहण प्रस्तावित है जैसा कि वर्तमान में निजी वाहनों जैसे मोटर-साइकिल एवं मोटर-कार के संबंध में लागू है.

उपरिवर्णित प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) में संशोधन आवश्यक **है.**

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 10 दिसम्बर, 2012

राजेश मूणत
परिवहन मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 5, 16 एवं प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार छ के उद्धरण निम्नानुसार है :—

धारा 5 कर का संदाय :—

(1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर का संदाय, मोटरयान के स्वामी द्वारा उसकी पसंद पर, या तो तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में, यथास्थिति उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के प्रारंभ होने से पन्द्रह दिन के भीतर उसके द्वारा उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के लिए उसके द्वारा अभिप्राप्त किए जाने वाले टोकन पर अग्रिम में किया जायेगा. किसी छहमाही टोकन के लिए कर, तिमाही टोकन के लिए कर के दो गुने से और वार्षिक टोकन के लिए कर तिमाही टोकन के लिए कर के चार गुने से अधिक नहीं होगा :

परन्तु उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए किसी मोटरयान के संबंध में किसी तिमाही के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली किसी कालावधि के लिए जो दो मास से अनधिक है, कालावधि के एक मास से अधिक होने या अधिक न होने के अनुसार, ऐसे तिमाही कर के दो तिहाई या एक तिहाई कर का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों में जब कभी वृद्धि की जाती है और मोटरयान का स्वामी बढ़ी हुई दर पर कर का संदाय करने का दायी हो जाता है तो ऐसा स्वामी कर की रकम का अंतर, उस मोटरयान की बाबत पश्चात्वर्ती कालावधि के लिए कर के संदाय के समय जमा करेगा :

परन्तु यह भी कि किसी शहर मार्ग से भिन्न किसी मार्ग पर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ी या मोटर केब से भिन्न गाड़ी के संबंध में उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल का संदाय यथास्थिति उस मास तिमाही, छमाही अथवा वर्ष के प्रारंभ में दस दिन के भीतर अग्रिम में मासिक तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 16 कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति :—

(1) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी मोटरयान में या ऐसे परिसर में, जहां कि उसे किसी मोटरयान के रखे होने का विश्वास करने का कारण हो, यह सत्यापित करने के प्रयोजन से कि क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिकारी मोटर साईकिलों और मोटरकारों के संबंध में प्राधिकृत नहीं किया जावेंगा.

(2) सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने वाली कोई भी व्यक्ति, कराधान प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाने पर—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

(ख) कर का संदाय के साक्ष्य में टोकन और

(ग) यान के उपयोग के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र.

प्रस्तुत करेगा और उस यान को इतने समय के लिए खड़ा रखेगा जितना कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वयं का यह समाधान करने के लिए अपेक्षित किया जाए कि ऐसे मोट्रयान के संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है.

परन्तु परिवहन यानों से भिन्न किसी भी यान के संबंध में इस प्रकार अपेक्षित किए गए प्रमाण पत्रों के निरीक्षण के लिए ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 130 की उपधारा (4) के अधीन विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटरयान का उपयोग, शोध्य कर, शास्ति या ब्याज का संदाय किए बिना, किया गया है, या किया जा रहा है तो वह ऐसे मोटरयान को अधिग्रहित कर सकेगा तथा उसे निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा जो ऐसे मोटरयान की अस्थाई सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और शोध्य कर की वसूली के लिए उचित समझी जावें.

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी मोटरयान को अभिग्रहीत तथ निरुद्ध कर लिया गया हो, वहां ऐसे यान का स्वामी या भार साधक व्यक्ति कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सुसंगत दस्तावेजों के साथ यान को निर्मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उस यान की बाबत कर की कोई रकम शोध्य नहीं है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे यान को निर्मुक्त कर कसेगा.

(5) जहां किसी मोटरयान की उपधारा (3) के अधीन अभिग्रहीत तथा निरुद्ध कर लिया गया हो, वहां अपराध का संज्ञान लेने वाला न्यायालय ऐसे यान को निर्मुक्त नहीं करेगा.

(6) उपधारा (8) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जहां कराधान प्राधिकारी का उपधारा (3) के अधीन यान के अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि स्वामी ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192-क के सहपठित धारा 66 के अधीन अनुज्ञा पत्र के बिना यान चलाने का अपराध किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा अभिलिखत किए जाने वाले कारणों से उक्त उपधारा के अधीन अभिगृहीत यान का अधिहरण कर सकेगा. अधिहरण के आदेश की एक प्रति बिना किसी असम्यक् विलंब के परिवहन आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी.

(7) उपधारा (6) के अधीन यान के अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कराधान प्राधिकारी,—

(क) उस अपराध जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को यान के अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने के बारे में विहित प्ररूप में सूचना न भेज दे.

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कि यान अभिगृहीत किया गया है, तथा रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, लिखित सूचना जारी न कर दे,

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्यिों को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न कर दे, और

(घ) अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की जिनको कि खण्ड (ख) के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसे तारीख को, जो इस प्रयोजन के लिए नियत की जाए, सुनवाई न कर दे.

(8) उपधारा (6) के अधीन किसी यान के अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि उपधारा (7) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा यान अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमान्य दस्तावेजों के अधीन उपयोग में लाया गया था.

* * * * * * * * * * * * * *

प्रथम अनुसूची

सरल क्रमांक चार (घ) — **ऐसे** यान जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है, नगर मार्गों से भिन्न मार्गों पर प्रक्रम वाहन के रूप में चलाये जा रहे हों :—

(1) वातानुकूलित सेवा या डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत् ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है. और जहां एक दिन में यान द्वारा तय किये जाने वाली अनुज्ञात कूल दूरी :—

(एक) **100 किलोमीटर के अनधिक—**

(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिए- 250.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए- 200.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(दो) **उसके पश्चात् प्रत्येक 10 कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए—**

(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिए 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास

(2) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक रुपये 160 प्रति सीट प्रति मास

(दो) उसके पश्चात् प्रत्येक 10 कि.मी. के लिए रुपये 10 प्रति सीट प्रति मास

(3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत् ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र :—

(एक) **किसी पारस्परिक करार के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है :—**

(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु. 20.00 प्रति सीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रति सीट प्रतिमास.

(दो) **पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है :—**

(क) वातानुकूलित /डीलक्स सेवा के लिए रुपये 40 प्रति सीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 20 प्रति सीट प्रति मास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए रुपये 40 प्रति सीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 15 प्रति सीट प्रति मास.

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन प्रति-हस्ताक्षरित किया गया है :— प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 10.00 प्रति सीट प्रति मास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है :— रुपए 40 प्रति सीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 10 प्रति सीट प्रति मास.

सरल क्रमांक चार (ड.) — **ऐसा यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो—**

(1) आरक्षित मंजिली गाड़ी के रूप में रखे गए हैं :—

(एक) साधारण बस के लिए **रुपये 160.00 प्रति सीट प्रति मास**

(दो) एक्सप्रेस बस के लिए — रुपये 180.00 प्रति सीट प्रति मास

(तीन) वातानुकूलित डीलक्स बस के लिए — रुपये 230.00 प्रति सीट प्रति मास

(2) **ओमनी बस (परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले)/यात्री परिवहन यान के रूप में रखे गए हैं :—**

(एक) साधारण बस के लिए — रुपये 160.00 प्रति सीट प्रति मास

(दो) एक्सप्रेस बस के लिए — रुपये 180.00 प्रति सीट प्रति मास

(तीन) वातानुकूलित बस/डीलक्स बस के लिए — रुपये 230.00 प्रति सीट प्रति मास

सरल क्रमांक चार (च) — ठेका गाड़ी—

(1) ऐसा यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किए गए "ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट" के अंतर्गत ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(क) **मेक्सी केब से भिन्न टूरिस्ट यान—**

(एक) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 128 के उपनियम (10) के अधीन निम्नलिखित बैठने की व्यवस्था के साथ वाहनों के लिए—

(क) दो या दो सीट व्यवस्था — रु. 800.00 प्रति सीट प्रति मास

(ख) दो तथा एक सीट व्यवस्था — रु. 950.00 प्रति सीट प्रति मास

(ग) एक तथा एक सीट व्यवस्था — रु. 1250.00 प्रति सीट प्रति मास

(दो) वातानुकूलित टूरिस्ट बस (किसी भी अनुज्ञात बैठक व्यवस्था के लिए) — रु. 950.00 प्रति सीट प्रति मास

(ख) मेक्सी केब टूरिस्ट यान — रु. 150.00 प्रति सीट प्रति तिमाही

(2) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और राज्य के भीतर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(एक) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) बैठने की क्षमता वाले मेक्सी केब यान के लिए. — रु. 300.00 प्रति सीट प्रति मास

(दो) 12 से अधिक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता यान के लिए

(क) साधारण बस के लिए — रु. 500.00 प्रति सीट प्रति मास

(ख) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए — रु. 600.00 प्रति सीट प्रति मास

(3) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(क) नियमित आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में. — रु. 900.00 प्रति सीट प्रति मास

(ख) आकस्मिक आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में, जो नियमित आधार से भिन्न हो तथा एक माह में छः दिवस से अनधिक राज्य में संचालित हो. — रु. 120.00 प्रति सीट प्रति तीन दिवस.

(4) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए **विशेष अनुज्ञापत्र** पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(एक) 7 दिन के लिए—

(क)	साधारण बस के लिए	रु. 150.00 प्रति सीट
(ख)	वातानुकूलित बस/डीलक्स बस के लिए	रु. 200.00 प्रति सीट

(दो) 7 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक के लिए—

(क)	साधारण बस के लिए	रु. 400.00 प्रति सीट प्रति मास
(ख)	वातानुकूलित बस/डीलक्स बस के लिए	रु. 600.00 प्रति सीट प्रति मास

(5)	ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मंजूर किए गए विशेष अनुज्ञा-पत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है.	अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 किमी या उसके भाग के लिए (50 पैसे) प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिए (एक रुपये) प्रति सीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ड) या (च) (2) के अधीन संदत्त करके अतिरिक्त होगा.
(6)	ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है.	अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए साधारण बस के लिए 50 पैसे प्रति सीट और डीलक्स बस के लिए एक रुपया प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ड) या (च) (2) के अधीन संदत्त करके अतिरिक्त होगा.

(7) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(एक)	साधारण बस के लिए	रु. 14.00 प्रति सीट प्रति दिन
(दो)	वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	रु. 20.00 प्रति सीट प्रति दिन

सरल क्रमांक छ :— बिना अनुज्ञापत्र/प्राधिकार के चलाए जा रहे मोटरयान—

1. **टूरिस्ट यान या डीलक्स बस से भिन्न यान—**

(क)	3 से अधिक किन्तु 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 125 प्रति सीट प्रति मास.
(ख)	6 से अधिक किन्तु 12 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 125 प्रति सीट प्रति मास.
(ग)	12 से अधिक किन्तु 29 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 600 प्रति सीट प्रति मास.

(घ)	29 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर).		पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 1000 प्रति सीट प्रति मास.

2. **टूरिस्ट यान/डीलक्स बस—**

(क)	टूरिस्ट यान मोटर केब		रुपए 150 प्रति सीट प्रति मास
(ख)	टूरिस्ट यान मेक्सी केब		रुपए 300 प्रति सीट प्रति मास
(ग)	मोटर केब एवं मेक्सी केब से भिन्न पर्यटक यान/डीलक्स बस—		
	(i)	दो तथा दो सीट व्यवस्था	रुपए 1600 प्रति सीट प्रति मास
	(ii)	दो तथा एक सीट व्यवस्था या वातानुकूलित बस किसी.	रुपए 1900 प्रति सीट प्रति मास
	(iii)	एक तथा एक सीट व्यवस्था	रुपए 2500 प्रति सीट प्रति मास

* * * * * * * * * * * * * *

स्पष्टीकरण (9) — मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र पर चलाने के लिए प्राधिकृत बसों की बाबत् देय कर—

(1) बसों की ऐसी संख्या के लिए जो धारित अनुज्ञा-पत्रों के अंतर्गत आने वाली समस्त मार्गों पर किसी भी दिन सेवा बनाए रखने हेतु चलाने के लिए अपेक्षित हो, उप-मद (घ) के अधीन तथा

(2) बसों की शेष संख्या के बाबत उप-मद (ड़) के अधीन.

ऐसी बसों की औसत बैठने की क्षमता के आधार पर संगणित किया जाएगा.

स्पष्टीकरण (10) — मद चार की उपमद (च) कें खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए टूरिस्ट यान में बैठने की व्यवस्था की अस्तित्व जांच (फिजिकल वेरिफिकेशन) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 128 के उपनियम (10) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि की जाएगी और कराधान प्राधिकारी द्वारा या छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इसका सत्यापन किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

द्वितीय अनुसूची का भाग-1

	मोटरयानों का वर्णन	जीवनकाल कर की दर
1.	**किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें.**	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
2.	**किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें—**	
	(क) **जिनकी कीमत** 5 लाख से अधिक नहीं है.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत
	(ख) **जिनकी कीमत** 5 लाख से अधिक है.	यान की कीमत का 7 प्रतिशत
3.	**अशक्त यात्री गाड़ी**	रुपये 360/-

4. आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान) जो किराया तथा पारितोषिक पर चलाई जा रही है और 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है :—

(क)	अनुसचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों के, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विनिश्चत की जाए, अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किए गए तथा उसके स्वामित्व में, के यान	यान की कीमत का 2 प्रतिशत
(ख)	उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किए गए तथा उनके स्वामित्व में, के यान	यान की कीमत का 5 प्रतिशत

5. निजी उपयोग के लिए ओमनीबस जिसके बैठने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो. — यान की कीमत का 6 प्रतिशत

6. सकल यान भार 3,500 कि.ग्रा. से अनधिक मालयान जिसकी कीमत—

(क)	रुपए 2.5 लाख से अधिक नहीं	यान की कीमत का 12 प्रतिशत
(ख)	रुपए 2.5 लाख से अधिक	यान की कीमत का 10 प्रतिशत

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.